न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल–तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या	रजि० नं0 2025 /	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 108 / 2025	2025 / 366	21.08.2025	3-6-2026

1– रहमत पुत्र जुहर खॉं,
2– असलम पुत्र दीनू जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

अपीलान्टान

बनाम

1– तहसीलदार किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।
2– चमेली पुत्री सुसु जाति मेधवाल निवासी पडासला तहसील किशनगढबास जिला खैरथल–तिजारा।

रेस्पॉडेन्टान

अपील विरूद्ध आज्ञा तहसीलदार किशनगढबास किस्म प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट मुकदमा संख्या 02/2024 निर्णय दिनाक 30.07.2025 उनवान चमेली बनाम रहमत जिसके द्वारा अपीलान्ट को वर्णित आराजीयात से बेंदखल करने की आज्ञा पारित की गयी है, को अपास्त किये जाने के क्रम में।

उपस्थित–
01. श्री मुकेश सैनी एड0 — वकील अपीलान्ट उपस्थित
02. श्री पुष्पकुमार एड0 — रेस्पोडेन्ट उपस्थित

–:निर्णय:–

अपीलान्टान ने यह अपील तहसीलदार किशनगढबास द्वारा पारित निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 (बी) आर.टी.एक्ट मुकदमा संख्या 02/2024 दिनाक 30.07.2025 उनवान चमेली बनाम रहमत जिसके द्वारा अपीलान्टान को वर्णित आराजीयात से बेंदखल करने की आज्ञा पारित की गयी है, से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जर्ये नोटिस तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को दोहराते हुऐ निवेदन किया है, कि रेस्पोडेन्ट चमेली द्वारा एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183 बी आर.टी.एक्ट के तहत अदालत के समक्ष पेश कर निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 334 रकबा 0.22 है0 व अन्य खसरा नम्बरान जो कि हमारे पिता सुसु पुत्र गोविन्दा की अलॉट शुदा आराजी जिसमें पिता का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम पडासला में काश्त करते चले आ रहे थे, मृत्यु पश्चात उसके वारिस अम्मी, कस्तूरी, चमेली, छुटटन, बढढन, बर्फी, रामचन्दी द्वारा मुताबिक प्रार्थना पत्र एक वर्ष के लिए रहमत, रहमान पुत्रान जुहरखॉं, कुरसेद पुत्र रहमत जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास को बटाई के आधार पर दी गयी थी। बाद में इनके बदनियति आ गयी। दिनाक 23.06.2024 को जब प्रार्थी चमेली पुत्री सुसु खेत पर जाने एवं जुतवाने की बात की तो अप्रार्थीयान द्वारा ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारे खेत पर जबरदस्ती कब्जा करके रहेगे। उक्त आराजी पर हमारे भाईयो ने हमे बिना पूछे गिरवी रख दी। अब हम व हमारे भाई भी गिरवी राशि अदा करने को तैयार है, तथा उक्त लोगो को हमारी आराजी खसरा न0 334 पर जबरदस्ती कब्जा न करने हेतु पाबन्द किया जावे। जिसके आधार पर तहत अदालत द्वारा अपीलाधीन निर्णय पारित किया गया है।

प्रकरण में वर्णित आराजी रेस्पोडेन्ट के भाईयो द्वारा अपीलान्टान को लीज पटटा पर 99 वर्ष के लिऐ दी गयी है। तहत अदालत के समक्ष रामचन्दर, अमीचन्द, बढढन, छुटटन पुत्रान सुसु, चमेली, किस्तूरी, बर्फी ने शपथ–पत्र में अंकित किया है, कि आराजी खसरा न0 334 रकबा 0.22 है0 हमारे भाईयो ने हमें बिना पुछे रेस्पोडेन्ट को गिरवी रख दी है, अब हम व हमारे भाई भी गिरवी राशि अदा करने को तैयार है, और अपनी आराजी को वापिस प्राप्त करना चाहते है। जिससे स्पष्ट है, कि अपीलान्ट द्वारा उक्त आराजी

जिला कलक्टर
जिला खैरथल-तिजारा (राज०)

लीज पर ली हुई है। न कि अतिक्रमण के रूप में काबिज है। अपीलान्टान आराजी पर 99 साल की लीज पर 32500/रूपये में लीज पर ली गयी है, किसी प्रकार का अवैध अतिक्रमण नही था, उसके बावजूद भी हम अपीलान्टान को बेदखल करने का निर्णय पारित किया गया है। तहत अदालत द्वारा आलोच्य आदेश पारित करने मे अपना सही जाप्ता काम में नही लिया गया है, जिससे अपीलान्टान को काफी प्रज्यूडिस होना पडा है। अपीलाधीन आदेश विधि विरूद्व एंव तथ्यो के विपरीत पारित किया गया है।

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यो को नकारते हुऐ निवेदन किया है, कि आराजी खसरा न0 334 रकबा 0.22 है0 व अन्य खसरा नम्बरान जो कि हमारे पिता सुसु पुत्र गोविन्दा की अलॉट शुदा आराजी जिसमें पिता का 1/4 हिस्सा वाके ग्राम पडासला में काश्त करते चले आ रहे थे, मृत्यु पश्चात उसके वारिस अम्मी, कस्तूरी, चमेली, छुटटन, बढढन, बर्फी, रामचन्दी द्वारा मुताबिक प्रार्थना पत्र एक वर्ष के लिए रहमत, रहमान पुत्रान जुहरखॉ, कुरसेद पुत्र रहमत जाति मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास को बटाई के आधार पर दी गयी थी। बाद में इनके बदनियति आ गयी। दिनाक 23.06.2024 को जब प्रार्थी चमेली पुत्री सुसु खेत पर जाने एवं जुतवाने की बात की तो अप्रार्थीयान द्वारा ऐलानिया धमकी दी कि हम तुम्हारे खेत पर जबरदस्ती कब्जा करके रहेगे। उक्त आराजी पर हमारे भाईयो ने हमे बिना पूछे गिरवी रख दी। अब हम व हमारे भाई भी गिरवी राशि अदा करने को तैयार है, तथा उक्त लोगो को हमारी आराजी खसरा न0 334 पर जबरदस्ती कब्जा न करने हेतु पाबन्द किया जावे।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अवलोकन किया गया एंव वकील अपीलान्ट/रेस्पोडेन्ट की बहस पर मनन किया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। आराजी खसरा न0 334 रकबा 0.22 है0 भूमि रेस्पोडेन्ट के भाई छुटटन पुत्र सुसु निवासी पडासला किशनगढबास अपने हिस्से की कब्जा/काश्त को 99 साल की लीज पर राशि 32500/रूपये अपीलान्ट रहमत पुत्र जुहरू खां मेव निवासी पडासला तहसील किशनगढबास एवं दीनू जाति मेंव निवासी थोस तहसील तिजारा के हक में पॉच रूपये के स्टाम्प के आधार पर कब्जा/काश्त होना पाया जाने पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा पेश प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जाकर रेस्पोडेन्ट की आराजी खसरा न0 334 रकबा 0.22 है0 भूमि वाके ग्राम पडासला तहसील किशनगढबास का कब्जा दिलाये जाने के आदेश पारित किये है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित है, अपील अपीलान्ट स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार किशनगढबास प्रकरण संख्या 02/2024 उनवान चमेली बनाम रहमत में पारित निर्णय दिनाक 30.07.2025 यथावत रखा जाता है। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवायी जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर बाद तकमील दाखिल जमा रिकार्ड हो।

निर्णय आज दिनांक 3-6-2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अतुल प्रकाश)
जिला कलक्टर
खैरथल–तिजारा (राजस्थान)